

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 15,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-446/24, धारा 3/5/8 विस्फोटक पदार्थ अधि0, बढोत्तरी धारा 3(5)/105/110 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 15,000/- रू0 के इनामिया वांछित अभियुक्त फारुख पुत्र मोहम्मद बक्श निवासी बेलसर डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को विकास शिक्षा मंदिर बेलसर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.10.2024 को करीब 13.00 बजे थाना तरबगंज क्षेत्रांतर्गत बेलसर डीहा के एक खाली पड़े घर में बाहर से ताला लगाकर कर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम हो रहा था, जिसमें अचानक धमाका होने से पटाखा बना रहे 05 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिनमें उपचार के दौरान 03 लोगों—की मृत्यु हो गई थी। जिसमें थाना तरबगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त फारुख पुत्र मोहम्मद बक्श गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। जिसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उसपर 15,000/- का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें आज दिनांक 22.08.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 15,000/- रू0 के इनामिया वांछित अभियुक्त फारुख पुत्र मोहम्मद बक्श निवासी बेलसर डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को विकास शिक्षा मंदिर बेलसर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किय गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. फारुख पुत्र मोहम्मद बक्श उम्र करीब 60 वर्ष निवासी बेलसर डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-446/24, धारा 3/5/8 विस्फोटक पदार्थ अधि0, बढोत्तरी धारा 3(5)/105/110 बी0एन0एस0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ0नि0 उपेन्द्र यादव।

02. का0 अजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

कजरी तीज पर्व की तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सरयू घाट का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आगामी कजरी तीज पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ व धार्मिक अनुष्ठानों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आज दिनांक 22.08.2025 को सरयू घाट का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा घाट क्षेत्र में की गई बैरिकेटिंग, बैरियर, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, गोताखोरों की उपलब्धता तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को असुविधा न हो तथा सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्व पूर्ण कर ली जाएं। कजरी तीज पर्व पर परम्परागत रूप से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या सरयू घाट पर जल भरने के लिए पहुँचती है तथा जल लेकर विभिन्न थाना क्षेत्र कर्नलगंज के बरखण्डी नाथ मंदिर, थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीनाथ मंदिर तथा को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुःखहरण नाथ मंदिर आदि पर जलाभिषेक करती है। इस दौरान कांवड़ यात्रा/शोभा यात्राओं का भी आयोजन होता है, जिसमें जनपद सहित पड़ोसी जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता होती है। भीड़-भाड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध किए गए हैं। सरयू घाट एवं मंदिर परिसरों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, गोताखोर दल, एंटी रॉयट ड्रोन टीम, आरएएफ/पीएसी बल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं तथा प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त बैरिकेटिंग व पार्किंग व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने, श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने, भीड़ नियंत्रण हेतु माइक/पीए सिस्टम का प्रयोग करने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु तत्पर रहने के निर्देश दिए। महोदय ने यह भी कहा कि कजरी तीज पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सहज वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, अतः सभी सम्बन्धित अधिकारीगण समय-समय पर मौके पर रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करें।

इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्या, प्र0नि0 कर्नलगंज सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।